

**FORM NO. CAA. 2**

[Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7]]

**Company Petition NoCA(CAA)No.25/Chd/Hry/2017**  
along with CA No. 11 of 2018**IN THE MATTER OF :**

TotipotentSC Scientific Product Private Limited

**... Transferor Company/ Petitioner Company 1/ Applicant**  
**AND**

TotipotentRX Cell Therapy Private Limited

**... Transferee Company/ Petitioner Company 2**  
**AND****Their respective Shareholders and Creditors**  
**(Collectively the Transferor Company & the Transferee**  
**Company as the PETITIONERS)****Notice and advertisement of notice of the**  
**meeting of Unsecured Creditors of****TotipotentSC Scientific Product Private Limited**

Notice is hereby given that by an order dated the 12<sup>th</sup> day of January, 2018, the Hon'bleChandigarh Bench of the National Company LawTribunal has directed a meeting to be held of Unsecured Creditors of TotipotentSC Scientific Product Private Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the compromise or arrangement proposed to be made between the Applicant and its Unsecured Creditors aforesaid.

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that a meeting of the Unsecured Creditors of the Applicant will be held at The Palms Town & Country Club, B-Block, Sushant Lok, Phase - 1, Gurgaon, Haryana - 122001 on Saturday, the 24<sup>th</sup> day of February, 2018 at 12 o'clock in the noon at which time and place the said Unsecured Creditors are requested to attend.

Copies of the said compromise or arrangement or amalgamation, and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the registered office of the Applicant. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant at Unit No. 312A, Suncity Success Tower Golf Course Extension Road, Sector-65, Gurugram, Haryana - 122001 not later than 48 hours before the meeting.

Forms of proxy can be deposited at the registered office of the Applicant.

The Tribunal has appointed Justice (Retd.) Sh. H.S. Bhalla, House No. 433, Sector 16, Panchkula, Mobile Number 9815709797 and failing him, Mr. B. M. Bedi District & Sessions Judge (Retd.), Haryana, House No. 22, Sector 04, Panchkula, Mobile Number 8054381862 as Chairperson of the said meeting. The above mentioned compromise or arrangement or amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Dated this 17<sup>th</sup> day of January, 2018  
Panchkula

**Justice (Retd.) Sh. H.S. Bhalla**  
Chairperson appointed for the meeting

**फार्म नं. CAA. 2**

[ अनुभाग 230 ( 3 ) और नियम 6 और 7 के अनुसार ]

**कम्पनी याचिका सं. CA(CAA)No.25/Chd/Hry/2017**साथ में **CA No. 11 of 2018**

मामले में :

टोपिपोटेंटएससी साइंटिफिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड,

**... हस्तांतरणकर्ता कंपनी/ याचिकाकर्ता कंपनी 1/ आवेदक**  
**एवं**

टोपिपोटेंटआरएक्स सेल थरेपी प्राइवेट लिमिटेड,

**... हस्तांतरी कंपनी/ याचिकाकर्ता कंपनी 2**  
**एवं****उनके संबंधित अंशधारक एवं लेनदार**  
**( सामूहिक रूप से हस्तांतरणकर्ता कंपनी एवं**  
**हस्तांतरी कंपनी याचिकाकर्ता के रूप में )****टोपिपोटेंटएससी साइंटिफिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के असुरक्षित लेनदारों**  
**की बैठक कराये जाने हेतु सूचना का विज्ञापन**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 12.01.2018 को राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, माननीय चंडीगढ़ बेंच ने निर्देश दिया है कि टोपिपोटेंटएससी साइंटिफिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित की जाय और यदि उपयुक्त हो तो, संशोधनों सहित या रहित समझौता या व्यवस्था की योजना उपरोक्त आवेदक एवं उनके असुरक्षित लेनदारों के मध्य जैसा कि उसमें निहितार्थ है को स्वीकृति दी जाय।

उक्त आदेश के अनुपालन में जैसा कि उसमें आदेशित है आगे यह सूचित किया जाता है कि आवेदक कम्पनी के असुरक्षित लेनदारों की एक बैठक द पाल्मस टाउन एण्ड कंट्री क्लब, बी-ब्लॉक, सुशांत लोक, फेज-1, गुडगांव, हरियाणा-122001 में शनिवार दिनांक 24.02.2018 को समय दोपहर 12.00 बजे होगी। असुरक्षित लेनदारों से निवेदन है कि उक्त समय वे स्थान पर उपस्थित रहें।

उक्त समझौता या व्यवस्था की योजना की प्रति एवं विवरण की प्रतियां धारा 230 के अधीन आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए अधिकृत लोग, व्यक्तिगत रूप से या प्रोक्षी द्वारा मत दे सकते हैं बशर्ते कि सभी प्रोक्षी को निर्धारित प्रारूप में, बैठक से न्यूनतम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय युनिट नं. 312ए, सनसिटी सक्सेस टावर, गॉल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सैक्टर-65, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 में प्रस्तुत किया गया हो।

प्रॉक्सि के फार्म आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।  
ट्रिब्यूनल ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) श्री एच. एस. भल्ला, हाऊस नं. 433, सैक्टर 16, पंचकुला, मोबाइल नं. 9815709797 एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री बी. एम. बेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), हरियाणा, हाऊस नं. 22, सैक्टर 04, पंचकुला, मोबाइल नं. 8054381862 को उपरोक्त बैठक हेतु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

उपरोक्त समझौता या व्यवस्था की योजना, अगर उपरोक्त बैठकों में मंजूरी दे दी जाती है तो बाद में माननीय ट्रिब्यूनल के अनुमोदन के अधीन होगी।

दिनांक : 17.01.2018  
(हस्ता./-) जस्टिस (सेवानिवृत्त) श्री एच. एस. भल्ला  
बैठक हेतु नियुक्त अध्यक्ष)